न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 690/2017(2017/01100)

1. विष्णु प्रसाद वैष्णव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव जाति वैष्णव निवासी पीपरोली तहसील सरवाड हाल गुजरवाडा, जयपुरा रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पुत्री श्री रामेश्वर वैष्णव पूर्व पत्नि श्री जगदीश वर्तमान पत्नि रामधन वैष्णव जाति वैष्णव निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
2. श्रीमान उपपंजीयक साहब केकडी, उपपंजीयक कार्यालय केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी, तहसील कार्यालय केकड जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

4. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नि श्री रामेश्वर वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गुजरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. महावीर प्रसाद वैष्णव दत्तक पुत्र श्री रामेश्वर वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गुजरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. छोटी देवी पत्नि श्री जगदीश वैष्णव जाति वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गुजरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. रतनलाल पुत्र श्री जगदीश वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गुजरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. हनुमान पुत्र श्री जगदीश वैष्णव निवासी गुजरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. धर्मराज पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव जाति वैष्णव निवासी पीपरोली तहसील सरवाड हाल गुजरवाडा, जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील वादीगण
श्री मिठू सिंह राठौड – वकील प्रतिवादी संख्या–1

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित 151 जाप्ता दीवानी)

आदेश

दिनांक 16.11.2022

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया जो निम्नानुसार हैः–

वादी ने वाद पत्र पेश कर इस तथाकथित आधार पर प्रस्तुत किया है कि वाद वर्णित आरजीयात वादी के नाना की है और वादी जन्म से ही अपनी नानी के पास निवास करने से वाद वर्णित आराजीयात में पुश्तैनी होने से हक, अधिकार हिस्सा रखता है एवं जन्म से ही अधिकार रखता है इन सभी तथ्यों का वर्णन वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में व अन्य जगह किया है वादी ने उपरोक्त वाद पत्र बहैसियत नाना के उत्तराधिकारी होने के आधार पर प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय को वाद में मांगा गया कोई भी अनुतोष देने से पूर्व मूल रूप से यह निर्णित व निश्चित करना है कि वादी श्री रामेश्वर पुत्र भोलूदास के वारिस व उत्तराधिकारी है अथवा नही। विधिनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वारिस व उत्तराधिकार है या नही यह निर्णित करने का क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवलमात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है अतः माननीय न्यायालय को उपरोक्त वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार ना होने से उपरोक्त वाद खारिज किया जाने व उपरोक्त वाद पत्र अपने नाना की आराजी में नाना के पास रहने के कारण, अपनी मां के जीवनकाल में ही जन्म से ही अपना हिस्सा बताते

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हुए प्रस्तुत किया है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मां के जीवनकाल में वादी को अपने नाना की जमीन में खातेदार घोषित होने का कोई हक अधिकार नही है जिससे वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रकट नही होता है अतः वाद पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्रकट नही होने से वाद पत्र नामंजूर होने से व वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने एवं वाद पत्र से वाद प्रस्तुत करे का वाद हेतुक प्रकट नही होने के कारण उपरोक्त वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त किया जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया जो निम्नानुसार है:–

वाद वर्णित आराजीयात कृर्षि भूमि है जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय किया जाना माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है वादी ने वाद वर्णित आराजीयात में अपने मॉं प्रतिवादी संख्या–1 इन्द्रा देवी के हिस्से [illegible] हिस्सा हेतु राजस्व आराजीयात में अपनी खातेदारी काश्तकारी बावत् घोषणा का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है वादी अपने नाना के जीवनकाल से ही केकडी में निवास करता चला आ रहा है वादी की मॉं ने कभी वादी की सुध नही ली है वादी अक्सर बीमार रहता है और वर्तमान में अपनी नानी व मामा के पास निवास करता चला आ रहा है वादी की समस्त बीमारी का ईलाज वादी के नानी व मामा ही वहन कर रहे है प्रतिवादी संख्या–1 इन्द्रा देवी को इन्द्रादेवी की मॉं व भाई ने काफी तलाश किया परन्तु वह उसके ससुराल भी नही मिली, उसके वर्तमान मति रामधन वैष्णव के गांव भी गये परन्तु रामधन वैष्णव ने कहा कि इन्द्रा देवी मेरे पास नही है और करीब डेढ–दो सालों से लापता है परन्तु दिनांक 15.5.2017 को प्रतिवादी इन्द्रादेवी आराजीयात पर आकर वादी के साथ मारपीट कर भगा दिया, और वादी ने प्रतिवादी को कहा कि मै भी अपने नाना की जमीन में से हिस्सा लूंगा तो, प्रतिवादी इन्द्रादेवी ने विष्णु को कहा कि तू मेरा बेटा है तो क्या सिर पर बैठेगा तेरा इस जमीन से कोई लेना देना नही है तू इस जमीन को अपने में भी मत देखना मैने इस जमीन का सौदा कर दिया है और दो–तीन महिने में रजिस्ट्री भी करवाकर रूपया लेकर चली जाउॅंगी। वादी ने इन्द्रा देवी को कहा कि मै तुम्हारा बेटा हूॅं और मेरा ईलाज तुम्हे करवाना चाहिये तू मेरा ईलाज करवा परन्तु प्रतिवादी इन्द्रा देवी को अपने बेटे विष्णु पर कोई दया नही आई। प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रा देवी ने माननीय न्यायालय के अन्तरिम स्टे के बावजूद भी दिनांक 14.2.2018 को वाद वर्णित आराजीयात में से 1/6 हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र से ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण चौधरी जाति जाट निवासी कोटा रोड केकडी जिला अजमेर को बेचान कर दिया। जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 5.10.2018 को होते ही जमावंदी प्राप्त की और विकय पत्र की सत्यापित उपपंजीयन कार्यालय केकडी से दिनांक 11.10.2018 को प्राप्त की। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी मय हर्जे खर्चे के खरीज किया जाने का निवेदन किया।

बहस में प्रतिवादी संख्या–1 ने लिखित बहस पेश कर बताया कि वादी ने यह वाद पत्र इस तथाकथित आधार पर प्रस्तुत किया है कि वाद वर्णित आराजीयात वादी के नाना की है और वादी जन्म से ही अपनी नानी के पास निवास करने से वाद वर्णित आराजीयात में पुश्तैनी होने से हक अधिकार हिस्सा रखता है व जन्म से ही अधिकार रखता है इन तथ्यों का वर्णन वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में व अन्य जगह किया है वादी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इनत थ्यों को स्वीकार किया गया है तथ वाद पत्र में सभी अभिवचन अभिवर्णित भी है

1. उपरोक्त वाद स्वयं को अपने नाना का वारिस व उत्तराधिकारी बताते हुए नाना के उत्तराधिकारी व वारिस होने के आधार पर प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय को इस वाद में मांगा गया कोई भी अनुतोष देने से पूर्व मूल रूप से यह निर्णित व निश्चित करना है कि वादी श्री रामेश्वर पुत्र भोलूदास का वारिस व उत्तराधिकारी है अथवा नही। विधिनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वारिस व उत्तराधिकारी है या नही यह निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही है उतराधिकारी से संबंधित प्रश्न का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है अतः माननीय न्यायालय को उपरोक्त वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त होने योग्य है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर अस्वीकार होने के कथन किये है इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि सम्पूर्ण वाद पत्र का पठन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय को वाद में मांगा गया कोई भी अनुतोष प्रदान करने से पूर्व यह निर्णित व निश्चित करना है कि है या नही इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय KURA vs RAMKISHAN 2006 के पैरा संख्या–9 मे यह निर्णित किया है कि उतराधिकार व वारिस संबंधि प्रश्न का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र दीवानी न्यायालय को प्राप्त है अतः वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त होने योग्य है

2. प्रतिवादी संख्या 1 ने यह प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित इस आधार पर भी प्रस्तुत किया है कि वादी ने उपरोक्त वाद पत्र अपने नाना की आराजीयात में नाना के पास रहने के कारण, अपनी मां के जीवनकाल में ही जन्म से ही अपना हिस्सा बताते हुए प्रस्तुत किया है विन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मां के जीवनकाल में वादी को अपने नाना की जमीन में ना तो हक अधिकार है और ना ही खातेदार घोषित होने का कोई हक अधिकार है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम या उतराधिकार संबंधी किसी भी अन्य विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही है जो वादी को यह अधिकार प्रदत करता है।

इस संबंध में निवेदन है कि वाद पत्र के कथनों से यह स्पष्ट स्वीकृत है कि वर्णित आराजी वादी के नाना की आराजी थी जो कि उनकी मृत्योपरांत उसकी माता व सके मामा के नाम दर्ज हुई। वद के अनुसार अभी तक वादी की माता जीवित है जो प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 है वादी ने उक्त वाद वर्णित आराजीयात को स्वयं की पुश्तैनी बताकर अपना जन्म से हिस्सा बचाते हुए प्रस्तुत किया है वाद पत्र के अभिवचनों व वाद पत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी नही है क्योंकि यह उसके पिता, पितामह से प्राप्त नही हुई तथा नाना की आराजी है पुश्तैनी आराजी वह होती है जो पिता/पितामह से या पुरूष पूर्वज से प्राप्त हुई हो परन्तु वाद पत्र से स्वयं स्पष्ट है कि वादी को यह आराजी इनसे प्राप्त नही हुई है माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय AIR 1995 Karnataka page 35 के पैरा संख्या 8 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि It is well settled that the ancestral property is the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father. The property inherited from female cannot be ancestral.

अतः वाद पत्र के अभिवचनों एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों ये यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्णित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी नही है

उपरोक्त वर्णित दोनो कारणो से वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई मूल कारण उत्पन्न नही होता है अतः वाद पत्र व उसके समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्रकट नही होने से यह वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत नामंजूर होने योग्य है

3. उपरोक्त वर्णित कारणों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने के कारण व वाद पत्र से वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्रकट नही होने से वाद पत्र नामंजूर होने योग्य है जिस कारण उक्त वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त किया जाना उचित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अन्य न्यायिक उद्वरण प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:–

4. उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत बताया कि हिन्दु नारी के द्वारा विरासत में प्राप्त सम्पति उसके द्वारा पूर्ण स्वामिनी के तौर पर धारित की जायेगी। तथा वह उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी।

5. प्रतिवादी वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय उद्वरण 2011DNJ(SC) Page 974 के para-21-Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956 clerly mandates that any property of a female Hindu is her absolute property and she, therefore has full ownership. The Expalnation to sub-section 1 further clarifies that a Hidu woman has full

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

ownership over any property that she has acquired on her own or as stridhana. As a consequence, she may dispose of the same as per her wish—

6. प्रतिवादी वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अनुसूची वर्ग–1 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वाद पत्र में वादी द्वारा अपने नाना का उतराधिकारी स्वयं को वताते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है तथा वादी की मां जीवित है जो कि वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार है इस अनुसूचि के अनुसार जीवित पुत्री का पुत्र प्रथम वर्ग का उतराधिकारी नही है

7. 2018 DNJ(SC) Page 826 para 12

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद पत्र 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त करने की कृपा करावें।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस कर बताया कि प्रतिवादी संख्या–1 वादी की मॉ है वादी अपनी जीवित मॉ के हिस्से में से पुश्तैनी आराजीयात में से अपना हिस्सा लेने का पूण्र हक अधिकार रखता है परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 इन्द्रादेवी वाद वर्णित आराजीयात में से 1/6 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से ओमप्रकाश पुत्र नारायण चौधरी जाति जाट को बेचान कर दिया। प्रतिवादी संख्या–1 वादी को अपने बेटे विष्णु पर कोई दया नही है अतः पुश्तैनी आराजीयात में से अपना हिस्सा लेने का पूर्ण हक अधिकारी है व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सिविल नियमानुसार प्रस्तु नही किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज होने योग्य है अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने नाना का उत्तराधिकार स्वयं को बताते हुए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा वादी की मां जीवित है जो कि वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार है अतः जीवित पुत्री का पुत्र प्रथम वर्ग का उतराधिकारी नही है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत वादीया विरासत में प्राप्त सम्पति की पूर्ण स्वामिनी होगी अतः प्रतिवादी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner